पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 77/2019

1. भगतसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. कैलाश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. ग्यारसी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रामस्वरूप देहडू एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मनीष टाक की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 26/87 के खसरा सं0 62 की 7.7140है0, खसरा सं0 638/195 की 2.7060है0, खसरा सं0 640/197 की 6.3860है0, खसरा सं0 650/19 की 1.7200है0 कुल 18.5260है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 भगतसिंह, वादीगण सं0 2 कैलाश कुमार, वादीगण सं0 3 ग्यारसी व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19-7-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 77/2019

1. भगतसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. कैलाश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. ग्यारसी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0का0श्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री रामस्वरूप देहडू : वादीगण

वकील श्री मनीष टाक : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 19-07-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 26/87 के खसरा सं0 62 की 7.7140है0, खसरा सं0 638/195 की 2.7060है0, खसरा सं0 640/197 की 6.3860है0, खसरा सं0 650/19 की 1.7200है0 कुल 18.5260है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा जैसाराम की खातेदारी हुआ करती थी। जैसाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया [illegible] ने प्रतिवादी सं0 2 को तर्क अंकित किया व प्रतिवादीगण सं0 3 [illegible] से जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तन[illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:59 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 भगतसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कणाऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाऊ

Scanned with CamScanner

के खाता सं0 87/76 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाऊ खाता सं0 26/87 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाऊ के खाता सं0 87/76 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाऊ खाता सं0 26/87 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार ओमप्रकाश के दो पुत्र भगतसिंह, कैलाश कुमार व एक पुत्री ग्यारसी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 26/87 के खसरा सं0 62 की 7.7140है0, खसरा सं0 638/195 की 2.7060है0, खसरा सं0 640/197 की 6.3860है0, खसरा सं0 650/19 की 1.7200है0 कुल 18.5260है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश के बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं0 1 भगतसिंह, वादीगण सं0 2 कैलाश कुमार, वादीगण सं0 ग्यारसी प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner